1. प्रस्तावना :

पेयजल जीवन की एक बुनियादी आवश्यकता है । प्रदेश की शत-प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है । जन सामान्य को पेयजी एवं निस्तार हेतु जल उपलब्ध कराने के साथ भू-जल भण्डारण को अक्षुण्य रखने के प्रयास भी किये जा रहे है ।

2. स्थापना संबंधी विविरण :

विभागीय संरचना :

शासन स्तर पर

शासन स्तर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में एक प्रमुख सचिव, एक उप सचिव (तकनीकी), एक उप सचिव (स्थापना), अवर सचिव (स्थापना) ।

प्रमुख अभियंता कार्यालय

विभागाध्यक्ष के रूप में मुख्यालय में दो मुख्य अभियंता है जिनमें से दिनाँक 31-01-2005 को सेवानिवृत्ति हो चुके है एवं एक प्रमुख अभियंता के पद पर पदस्थ है । इसके अलावा, मुख्यालय के कार्य संचालन के लिए तीन अधीक्षण अभियंता (सिविल) पदस्थ है ।

क्षेत्रीय स्थापना :

सिविल संकाय

विभाग की मैदानी स्थापना पांच मण्डलों में विभक्त है और प्रत्येक मण्डल एक अधीक्षण अभियंता के अधीन है, जिनके मुख्यालय क्रमश : रायपुर, बिलासपुद, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर में स्थित है। साथ ही रायपुर मुख्यालय में विभाग का एक वि./याँ. मण्डल भी स्थापित है जो पूरे राज्य में विभागीय मशीनों का संचालन एवं संधारण करता है । विभाग की स्वीकृत संरचना निम्नानुसार है :

प्रमुख अभियंता	-	01 पद
मुख्य अभियंता (सिविल)	-	02 पद
अधीक्षण अभियंता (सिविल)	-	09 पद
कार्यपालन अभिग्रता (सिविल)	-	24 पद
सहायक अभियंता (सिविल)	-	102 पद
सहायक अभियंता (एम0आई0एस0)	-	01 पद

मेकेनिकल संकाय

विभाग के विद्युत/यांत्रिक कार्यो के संचालन हेतु संरचनानुसार निम्नानुसार पद है :

अधीक्षण अभियंता (वि/यॉं)	-	01 पद
कार्यपालन अभिय्रता (वि/यॉं)	-	06 पद
सहायक अभियंता (वि/यॉं)	-	21 पद

क्षेत्रीय कार्यालय:

राज्य के सभी 16 जिलों में 16 खण्ड कार्यालय (सिविल) स्थापित है । इन खण्ड कार्यालय का कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला है । इन खण्ड कार्यालयों के प्रभारी, कार्यपालन अभियंता है ।

उपरोक्त 16 जिलों में 16 टेरेटोरियल खण्ड (सिविल) के अतिरिक्त, 03 परियोजना खण्ड, 01 भू-जल संवर्धन खण्ड और 05 खण्ड कार्यालय (वि/यॉं) भी कार्यरत है । इस प्रकार कुल 25 खण्ड कार्यालय है जिनके अधीन 93 उपखण्ड कार्यालय स्थापित है । 16 सिविल खण्डों के अधीन 64 उपखण्ड कार्यालय, 03 परियोजना खण्ड कार्यालय के अधीन 07 परियोजना उपखण्ड कार्यालय, 01 भू-जल संवर्धन खण्ड के अधीन 05 उपखण्ड तथा 05 खण्ड कार्यालय (वि/यॉं) के अधीन 17 उपखण्ड कार्यालय स्थापित है, जो कि सहायक अभियंताओं के अधीन है ।

3. विभाग के मुख्य दायित्व :

- ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनाएं रूपांकित कर उनका क्रियान्वयन करना । ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपंप का संधारण करना एवं नलजल योजनाओं के संचालन/संधारण हेतु पंचायतों को हस्तांतरित करना। नये सुधारो को लागू करने हेतु योजनाएं बनाना एवं क्रियान्वित् करना।
- नगरीय क्षेत्रो में पेयजल एवं मल निकास योजनाओं का उनके द्वाराचाहे जाने पर निपेक्ष कार्य के रूप में क्रियान्वयन करना ।
- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत चिन्हित गरीबी रेखा के परिवारों हेतु स्वच्छ शौचालयों एवं पर्यावरण स्वच्छता से जुडें हुए सभी संबंधित कार्यक्रमों का समन्वय करना । यह कार्यक्रय भारत शासन द्वारा प्रदत्त राशि एवं जनभागीदारी के आधार पर क्रियान्वित किया जाता है ।
- भू-जल संवर्धन योजनाएँ क्रियान्वित करना । कार्यक्रम के प्रथम चरण के अंतर्गत प्रत्यके विधान सभा क्षेत्र में कम से कम एक वॉटर शेड की योजना का क्रियान्वयन करने का लक्ष्य है ।

- पेयजल स्त्रोतों की गुणवत्ता की मानिटरिंग एवं पेजयल गुणवत्ता जेसे फ्लोराइड, आरयर तत्वों की अधिकता, खारे पानी की समस्या एवं आर्सेनिक तत्व की उपस्थिति से प्रभावित ग्रामों में वैकल्पिक शुद्ध पेजयल स्त्रोत निर्मित कर योजनाओं के कार्य संपन्न करना ।
- भारत सरकार द्वारा "स्वजलधारा" योजना प्रांरभ की गई है, जिसके अतंर्गत योजना क्रियान्वयन एवं संचालन संधारण हेतु जनभागीदारी हेतु सहमत बसाहटों में उनकी मांग अनुसार जल प्रदाय योजना क्रियान्वित की जाती है। इसके अंतर्गत 90: राशि भारत सरकार से देय है, शेष राशि नगद, ऋण, सामग्री अथवा भूमि के रूप में जनभागीदारी के रूप में देय है । इसमें कम से कम 50: नगदी के रूप में देय है ।

4. राज्य एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं :

<u>ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमः</u>

- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्वच्द एवं सुरक्षित जल आपूर्ति के उद्देश्य से ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है । मूलरूप से भारत सरकार राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के सिद्धांतों एवं नीतियों के अंतर्गत ही प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में जल प्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है । भारत सरकार से त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य शासन को प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता राशि के समतुल्य राशि का बजट प्रावधान राज्य शासन द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है एवं निधियों ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्यन किया जाता है । प्रदेश की अधिकांश, लगभग 99: ग्रामीण जल पद्राय योजनाएं (हैण्डपंप योजनाएं एवं नलजल/स्थलजल प्रदाय योजनाएं), भू-गर्भीय (मुख्यतः नलकूपों) पर आधारित है । लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा इन योजनाओं के लिए नलकूपों का खनन विभाग में उपलब्ध ड्रिलिंग मशीनों एवं निजी इकाइयों की ड्रिलिंग मशीनों से किया जाता है ।
- ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत, केन्द्र शासन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर, ग्राम के स्थान पर स्वतंत्र बसाहटों को इकाई माना गया है जिनके लिए योजनाएं क्रियान्वित की जाती है ।

<u>समस्या ग्रस्त बसाहटों का मापदण्ड</u>

निम्नांकित मापदण्ड वाली बसाहटों को सुरक्षित स्त्रोत विहीन बसाहट के रूप मे वर्गीकृत किया जाता है :-

क. जहां सुरक्षित पेयजल स्त्रोत/मैदानी क्षेत्रो में बसाहट की 1.0 कि. मी. की परिधि के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में 100 मीटर ऊंचाई के अंतर्गत स्थापित नहीं है । स्त्रोत, सार्वजनिक अथवा निजी हो सकते है, तथापि किसी निजी स्त्रोत से पेयजल लेने वाली बसाहटों को आच्छादित की गई तभी माना जा सकता है, जब जल स्वच्छ, समुचित मात्रा और सभी की पहुंच में हो ।

ख. बसाहटें, जिनमें जल स्त्रोत हो किन्तु वे अधिक खारेपन, लौह फ्लोराइड संखिया या अन्य टाक्सिक तत्व अथवा जैविक प्रदूषण जैसी गुणवत्ता की समस्याओं से प्रभावित हों।

ग. बसाहटें जहां किसी स्त्रोत से स्वच्छ जल की उपलब्धता की मात्रा, पीने और भोजन बनाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पर्याप्त नही हो । इसी प्रकार, गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें, यदि वे पूर्व मानक के अनुसार पूरी तरह आच्छादित की गई हो, को असुरक्षित स्त्रोत की बसाहट माना जायेगा, यदि पीने और भोजन पकाने के उद्देश्य के लिए न्यूनतम मात्रा में आवश्यक स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो ।

घ. जिन बसाहटों में स्वच्छ पेयजल स्त्रोत/पाइंट (निजी अथवा सार्वजनिक) मैदानी क्षेत्रों में 1.0 किलो मीटर की परिधि के अंतर्गत और पहाड़ी क्षेत्रो में 100 मीटर ऊंचाई के अंतर्गत अवस्थित हो, किन्तु स्त्रोत की क्षमती 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के बीच की मात्रा के प्रदाय की हो, तो ऐसी बसाहटों को आंशिक रूप से आच्छादित बसाहटों की श्रेणी में रखा जाएगा, तथापि इन बसाहटों को जलगुणवत्ता मापदण्डों के आधार पर "सुरक्षित स्त्रोत" की बसाहटें माना जाएगा । शेष सभी बसाहटों को पूर्णत: आच्छादित (कवर की गई) बसाहटें माना जाएगा ।

सुरक्षित स्त्रोत विहीन बसाहटों में कार्य की प्राथमिकता

प्राथमिकताएं निम्नानुसार की गई है :-

1. असुरक्षित स्त्रोत वाली बसाहटों की योजना के लिए प्राथमिकता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वाली बसाहटों अथवा 1993 की स्टेटस रिपोर्ट/सर्वेक्षण और 1996-97 में पुन: सर्वेक्षण में ज्ञात की गई अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या वाली बसाहटों को दी जाना है ।

2. गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें, अत्याधिक विषाक्तता (टॉक्सिसिटी) वाली बसाहटों को भी अन्य की अपेक्षा प्रथामिकता दी जाना है ।

3. सुरक्षित स्त्रोत वाली बसाहटें - जिनमें 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम पानी उपलब्ध है, उनमें योजनाएं कार्यान्वित कर, जलप्रदाय स्तर 40

लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के स्तर तक बढ़ाने की योजनाओं को प्राथमिकता।

4. ग्रामीण शालाओं में सुरक्षित पेयजल व्यवस्था केन्द्र एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जा रही है ।

प्रदेश में वर्ष 2003 के सर्वेक्षण के अनुसार दिनाँक 01704-2004 की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों की बसाहटों (ग्रामो/मजरे/टोले/पारों सहित) में पेयजल व्यवस्था की स्थिति निम्नानुसार है :-

विवरण	बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की संख्या दिनाँक 01-04-2004 की स्थिति में
01. कुल बसाहटें	72775
02. 40 लीटर या अधिक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से जलप्रदाय वाली बसाहटें	45892
03. स्त्रोत विहीन बसाहटें	14471
04. 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से कम जलप्रदाय वाली आंशिक पूर्ण बसाहटें	12412

वर्ष 2004-05 में 4500 स्त्रोत विहीन/आंशिक पूर्ण बसाहटों में पेयजल कार्य का लक्ष्य निर्धारित है, इसके विरूद्ध माह 31 जनवरी 2005 तक 3755 बसाहटों का कार्य किया जा चुका है ।

ग्रीष्म ऋतु में पेयजल कष्ट से निपटारे के लिये संबंधित कार्य :-

राज्य शासन द्वारा ग्रीष्म ऋतु में पेयजल कष्ट की स्थिति से निपटने हेतु आवश्यकतानुसार नये नलकूप खनन कर हैण्डपंप स्थापना, नलकूप में जल स्तरके मान से राइजर पाइप का विस्तार, भरे/पटे नलकूपों की सफाई, हाइड्रोफैक्चरिंग तथा बंद नलजल/स्पाटसोर्स योजनाओं को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाता है । उपरोक्त प्रकार के कार्यो को क्रियान्वित करके राज्य शासन ने वर्ष 2003-2004 के सूखे में पेयजल कष्ट का निराकरण आलोच्य अवधि में किया गया ।

स्थापित पेयजल व्यवस्था के तहत हैण्ड पम्प/नलजल योजनायें :-

स्थापित पेयजल व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्ड पम्पों व नलजल योजनाओं की 31 जनवरी 2005 की स्थिति निम्नानुसार

स्थापित हैण्डपंप:

क0	विवरण	संख्या
1.	कुल स्थापित हैण्डपंप	1,53,196
2.	कार्यरत/चालू हैण्डपंप	1,51,652
3.	सुधार खराबी से बंद, हैण्डपंप(सुधार प्रक्रिया में)	1544

नलजल योजनाएँ :

1.	कुल क्रियान्वित योजनाएँ	877
2.	कार्यरत/चालू हैण्डपंप	1,51,652

स्थल जल प्रदाय योजनाएँ :

1.	कुल क्रियान्वित योजनाएँ	422
2.	कुल प्रगतिरत योजनाएँ	45

ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था:

वर्ष 2004-2005 में 4500 शालाओं में पेयजल का कार्य लक्ष्य निर्धरित है,इसके विरूद्ध माह 31 जनवरी 2005 तक 2446 शालाओं में कार्य किया जा चुका है।

ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन:

विभाग द्वारा प्रदेश के ग्रामों में मुख्यत: नलकूप खनन किये जाकर उन पर हैण्डपंप लगाकर पेयजल व्यवस्था उपलबध कराई जा रही है। प्रदेश के ऐसे ग्राम, जिनकी आबादी 2000 या अधिक है, में नलकूप पर पॉवर पंप स्थापित कर तथा विजरण नलिकाएँ बिछाकर नलजल प्रदाय योजनाएँ बनाइ जाती है। प्रदेश में अब तक 877 नलजल योजनाएँ तथा 422 स्पॉट सोर्स योजनाएँ क्रियान्वित की गई है। हैण्डपंपों का संधारण विभाग द्वारा किया जाता है तथा नलजल प्रदाय/स्थल जल प्रदाय योजना विभाग द्वारा क्रियान्वयन उपरांत संचालन/संधारण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को सौंप दी जाती है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक भू-जल संवर्धन योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। वर्ष के दौरान 16 विधान सभा क्षेत्रों में 23 योजनाओं के कार्य प्रारंभ किये गये जिनमें से 2 योजनाओं के कार्य लगभग पूर्ण है। शेष कार्य प्रगति पर है।

<u>गॉव गंगा योजना</u> :

इस योजना में पेयजल एवं निस्तार व्यवस्था उपलब्ध किया जाता है । लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इसका नोडल विभाग है। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विद्युतकृत ग्राम में स्त्रोत तैयार कर निस्तार तालाब को भरा जाकर एवं

एक बिदु पर पेयजल उपलब्ध कराया जाता था । कुल 8589 तालाबों में लागू किया गया । योजनाओं का संचालन संधारण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। उक्त योजना के परिवर्तित स्वरूप में नलकूपों में पॉवर पंप लगाकर पानी उपलब्ध कराया जावेगा एवं मवेशियों के लिये हौजी (केटल-ट्र्फ)और निस्तार के लिये प्लेटफार्म बनाने की कार्यवाही की गई है। ग्रीष्म काल में जनता के लिए यह एक उपयोगी योजना है। आवश्यकतानुसार यह योजना स्पॉअ सोर्स योजना के रूप में उपयोगी होनी है।

5. प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही योजनाएँ:

जल गुणवत्ता से प्रभावित जिलों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था:

खारेपन का नियंत्रण:

दुर्ग जिले के खारे पानी से प्रभावित 19 ग्रामों की स्वीकृत योजना के 14 योजनाओं के विभिन्न अवयवों के कार्य लगभग 60: पूर्ण हो चुके है।

गूणवत्ता नियंत्रण हेतु जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना:

पेयजल गुणवत्ता नियंत्रण व अनुश्रवण हेतु प्रदेश के 7 जिलो में प्रयोगशालाएँ कार्यरत है। नवनिर्मित 9 जिलो में भी 10 प्रयोगशालाएँ सीापित करने की दिशा में कार्यवाही जारी है। इस हेतु केन्द्र शासन से माह मार्च 2004 में रु0 79.77 लाख की यूाना की स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्वीकृत अनुसार प्रयोगशालाएँ सीापित करने की कार्यवाही की जा रही है। गत वर्षो में राज्य के मद से सभी 9 जिलों में प्रयोगशाला भवन निर्माण किये गये है।

लौह आधिक्य से प्रभावित ग्रामों हेतु योजना:

प्रदेश में लौह तत्व की अधिकता से प्रभावित बस्तर क्षेत्र के लिए पृथक से योजना स्वीकृत की गई है। जिसकी लागतरु0 1000.00 लाख है। 173 ग्रामो की स्वीकृति योजना के अंतर्गत 51 ग्रामों का कार्य पूर्ण किया गया ।

जल संचयन (भू-जल संवर्धन):

विगत एक दशक में प्राय: प्रति वर्ष मानसून की अनिश्चितता व अल्प वर्षा से प्रदेश के भू-जल स्तर में तीव्र गिरावट परिलक्षित हुई है। प्रदेश के कई सीानों पर यह स्थिति चितनीय है। विभाग द्वारा स्थापित हैण्डपंप/नलकूपों की निरंतरता बनाये रखने हेतु भू-जल संवर्धन के कार्य व्यापक रूप से किये जाने हेतु अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

प्रदेश में भू-जल के दोहन को देखते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदाय स्त्रोतों के जलस्तर में वृद्धि हेतु भूजल सवंर्धन के कार्य का प्रस्ताव आवश्यक सर्वेक्षण के पश्चात् बनाये गये है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान (एन. आर.एस.ए.) हैदराबाद द्वारा ग्राउन्ड वॉटर प्रास्पेक्ट नक्शे विभाग के लिये प्राप्त

हो चुके है। इन नक्शों का उपयोग भूजल स्त्रोत निश्चित करने तथा भूजल संवर्धन कार्य हेतु किया गया है।

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रो में कम से कम एक वॉटर शेड की योजना बनाई जावेगी । वर्तमान स्थिति में 18 विधान सभा क्षेत्रों में 30 योजनाएँ लागत रु0 982.21 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। शेष 72 विधान सभा क्षेत्रों में 15 सलाहकारों के माध्यम से योजना प्रस्ताव कनाने का कार्य प्रगति पर है।

<u>संपूर्ण स्वच्छता कार्यकम:</u>

संपूर्ण स्वच्छता अभियान मांग पर आधारित व जनभागीदारी से संचालित योजना है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य:-

- ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन में गुणात्मक सुधार लाना ।
- जनजागरूकता और स्वास्यि शिक्षा के माध्यम से स्वच्छतागत सुविधाओं के लिए मांग पैदा करना ।
- संदूषित जल स्वच्छताहीनता जनित रोगों को कम करना ।
- इस योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार गतिविधियां संचालित होनी:-

प्रारंभिक गतिविधियों में परियोजना प्रस्ताव तेयार की जावेगी व स्वच्छता सुविधाओं की मांग घरों, आगनबाडी,शालाओं व महिला केन्द्रों में उत्पन्न करना ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता मार्ट स्थापना जिससे ग्रामीणों को शैचालय निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो सकें ।

व्यक्तिगत गृह शौचालयों के निर्माण हेतु गरीबी रेखा से नीचे परिवारों में शौचालय के निर्माण (625/-) का 20% अर्थात 125/- का अंशदान हितग्राही द्वारा दिया जायेगा । गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को विभाग द्वारा तकनीकी सलाह दी जाकर शौचालयों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा। व्यक्तिगत शौचालय हेतु केन्द्र सरकार,राज्य सरकार और लाभार्थी के बीच हिस्सेदारी 60: 20:20 अनुपात में रहेगी ।अतिरिक्त धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं व्यय की जायेगी । इसी प्रकार सामुदायिक महिला स्वच्छता परिसर (Community sanitary compose) काम्पलेक्स के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व लाभार्थी के बीच हिस्सेदारी 60: 20:20 अनुपात में रहेगी ।

राज्य शासन ने व्यक्गित शौचालयों के निम्रण के संबंध में निर्णय लिया है कि समस्त व्यक्तिगत शौचालय सुपर स्ट्रक्चर (Super Structure) युक्त ही बनाये जावेंगे जिसकी लागत रु0 3600/- प्रति शौचालय आती है तथा इस हेतु आवश्यक अतिरिक्त राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान एवं हुडको से ऋण प्राप्त कर उपलब्ध कराई जावेगी । इस संबंध में आगामी वर्षो में (वर्ष 2008-2009 अंत तक) 10 लाख शौचालयों का निर्माण

किया जावेगा । इसमें 75 प्रतिशत शौचालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे परिवारों हेतु तथा 25 प्रतिशत शौचालयों का निर्माण गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे परिवारों हेतु किया जावेगा। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु सेनेटरी पैन विभाग द्वारा ग्राम समितियों को उपलब्ध कराये जावेगे ।

ग्रामीण शालाओं के लिए इस कार्यक्रम में केन्द्र सरकार,राज्य सरकार एवं हितग्राही की भागीदारी 60: 20:20 अनुसार रहेगी ।

संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 16 जिलों में लागू करने का प्रस्ताव है।

- वर्ष 2002 एवं 2003 में निम्न जिलो की योजनाएँ स्वीकृत हो चुकी है:-

  1.दुर्ग 2.राजनांदगांव 3.महासमुंद 4.दंतेवाडा 5.रायपुर 6.बिलासपुर

  कुल लागत रु0 9176.79 लाख ।

- निम्न 10 जिलों के प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को प्रेषित:-

  1. कवर्धा 2. धमतरी 3. कांकेर 4. बस्तर 5. जांजगीर-चांपा 6. रायगढ़ 7. जशपुर 8. सरगुजा 9. कोरबा 10. कोरिया

  कुल लागत रु0 15883.36 लाख

6. स्वजल धारा :

पेयजल अपूर्ति प्रणालियों एवं संसाधानों के लिये सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वजल धारा योजना आरंभ की गई । "स्वजलधारा" गॉंव वालों की आवश्यकता एवं उसकी क्षमता पर आधारित ऐसी पेयजल योजना है जिसमें सभी जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, कार्यावन्यन,संचालन, रखरखाव एवं प्रबंधन की शक्तियॉं उनके स्वयं की हो तथा परिसंपत्तियों का पूर्ण स्वामित्व भी पंचायतों का ही हो । स्वजलधारा की दो चरणें होगी । प्रथम चरण स्वतलधारा- I ग्राम पंचायत या पंचायतों के समूह या मध्य स्तरीय पंचायत (ब्लाक या तहसील स्तर)के लिये होंगी तथा दूसरे चरण स्वजलधारा-II में परियोजना क्षेत्र के रूप में एक संपूर्ण जिला होगा ।

स्वजलधारा योजना में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये लाभार्थियों से अंशदान लेने का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 40 लीटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति सेवा स्तर के लिये सुदाय के अंशदान का न्यूनतम अंश,परियोजना की अनुमानित पूँजी लागत का 10% होगा तथा शेष 90% भाग का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जायेगा ।

किसी ग्राम में पेयजल उपलब्धता यदि 40 लीटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति है तो उन्हें 55 लीटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति तक बढाने के लिए जन भागीदारी के रूप में 20% अंशदान देना होगा तथा शेष 80% राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी । उपरोक्तानुसार अंशदान नगद/वस्तु/मजदूरी/भूमि/ अथवा इन सबके संयोजन के रूप में किया जा सकता है परंतु अंशदान का आधा हिस्सा नगद राशि के रूप में देना अनिवार्य होगा ।

जनभागीदारी आधारित स्वजल धारा योजना ग्रामीण जलप्रदाय योजना प्रदेश के समस्त 16 जिलों में प्रारंभ की जायेगी ।

- वर्ष 2002-2003 में जिला कोरबा,जाजगीर-चांपा,जशपुर,कवर्धा के लिए कुल स्वीकृत योजनाएँ 102, कुल लागत रु0 283.10 लाख है।
- निम्न जिलों की योजनाएँ भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिला राजनांदगांव, रायपुर,धमतरी,महासमंद,दंतेवाडा,बस्तर, बिलासुपर, रायगढ, कोरिया, सरगुजा,कोरबा एवं जशपुर ।

  कुल योजनाएँ 210, कुज लागत रु0 341.47 लाख
- जिला दुर्ग में सेक्टर रिफार्म अंतर्गत रुपये 45 करोड़ की योजना वर्ष 2002 में स्वीकृत की गई थी,जिसे 1-04-2004 से स्वजलधारा द्वितीय में परिवर्तित किया गया है।

7. राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत एम.आई.एस.प्रोजेक्ट:

ग्रामीण जलप्रदाय एवं स्वच्छता संबंधित योजनाओं के बेहतर कार्य योजना,क्रियान्वयन एवं मानिटरिंग हेतु विभाग के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव ‘‘एम.आई.एस.प्रोजेक्ट’’ के नाम से नवमी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागया गया है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य कम्प्यूटर के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर एवं जिला स्तर पर सूचनाओं के त्वरित आदान प्रादान हेतु पूर्ण सुनियोजित तरीक से प्रभावित Information Hierarchy विकसित किया जाना है। यह प्रोजेक्ट 100% भारत शासन से सहायता प्राप्त है।

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन पश्चात प्रमुख अभियंता कार्यालय एवं नवगठित 9 जिलों की आवश्यकतानुसार रुपये 73.22 लाख का कम्प्यूटरीकरण प्रस्ताव भारत शासन द्वारा स्वीकृत किया गया एवं तदानुसार इस प्रोजेक्ट का सफल क्रियान्वयन कर विभाग में खंड स्तर तक के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण किया गया । खंड स्तर के प्रत्येक कार्यालय में लोकल एरिया नेटवर्क

एवं एन.आई.सी. की सहायता से Communication network स्गािपित किया गया ।

भारत शासन की 10 वी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एं.आई. एस.मार्गदर्शिका को पुनरीक्षित किया गया । योजना के अन्तर्गत विभागीय कम्प्यूटरीकरण का विस्तार उपखंड स्तर तक किया जाना है। इस हेतु भारत शासन द्वारा विभाग के उपखंड स्तर तक कम्प्युटरीकरण प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा चुकी है जिसका कियान्वयन प्रगतिरत है। जिस हेतु भारत शासन से रु0 61.64 लाख की राशि आबंटित की जा चुकी है।

8. नगरीय पेयजल कार्यक्रम:

नीति और उपलब्धियाँ:

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में जलप्रदाय योजनाओं का कियान्वयन स्थानीय निकायों के लिये निक्षेन कार्य के रूप में किया जाता है। 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की योजनाओं की लागत राशि का 70 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 30 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में स्थानीय संस्थाओं को राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

इस कार्यक्रक के अंतर्गत वर्ष 2004-2005 में एक योजना पूर्ण की गई है। 31 जनवरी 2005 की स्थिति में 8 प्रगतिरत है। प्रगतिरत योजनाओं को पूर्ण करने हेतु अनुमानित व्यय लगभग रुपये 4553.80 लाख है।

<u>नगतिवर्धित शहरीय जलप्रदाय कार्यक्रम:</u>

वर्ष 1993-94 में केन्द्रीय शासन की सहायता से 20,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों के लिये शहरीय गतिवर्धित जलप्रदाय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित नगरों में योजनाओं के कियान्वयन के लिये केन्द्रीय शासन द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है एवं 45 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान देय होता है। शेष 5 प्रतिशत की राशि स्थानीय निकायों द्वारा जनसहयोग के रूप में जमा की जाती है। इस कार्यक्रम हेतु भारत शासन की ओर कुल 44 योजनाएँ अनुमोदन हेतु भेजी गई थी जिनमें 41 योजनाओं को भारत शासन द्वारा अनुमोदन दिया गया है। अनुमोद प्राप्त योजनाओं में से 38 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृत दी गई है। शेष योजनाओं की स्वीकृत विचाराधीन है

। प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त योजनाओं में से 31 जनवरी 2005 तक 13 योजनाएँ पूर्ण की गई है, शेष सभी योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

9. नगरीय पेयजल कार्यक्रम:

<u>नलकूप खनन हेतु विभागीय रिगों का विवरण:</u>

ग्रामीण क्षेत्रों में जलप्रदाय करने हेतु नलकूप खनन कार्य के लिये विभाग के पास कुल 30 विीागीय रिग है। इनमें से 28 रिगों द्वारा सामान्य नलकूप (डी.डी.एच.) एवं 2 रिगों के द्वारा ग्रेवल पैक नलकूपों का खनन कार्य किया जाता है।

वित्तीय वर्ष्ज्ञ में विभागीय रिगों की प्रगति का विवरण:

वर्ष	नलकूपों की संख्या	सफल नलकूप
2004-2005	2225	1996
(31-01-2005 तक)	नलकूप	नलकूप

विद्युत/यांत्रिकी संकाय द्वारा हाइड्रोफैक्चरिंग यूनिटों द्वारा नलकूपों का हाइड्रोफैक्चरिंग भी किया गया है। इसकी प्रगति निम्नानुसार रही है। :

वर्ष	यूनिट की संख्या	हाइड्रोफैक्चरिंग कराये गये नलकूपों की संख्या
2004-2005 (31-01-2005 तक)	2	360 नलकूप

एक मशीन जल आवक परीक्षण की है जिससे वर्ष 2004-2005 में 31 जनवरी 2005 तक 54 नलकूपों की जलक्षमता का परीक्षण किया गया । इसके अतिरिक्त संकाय ने 401 नलकूपों की सफाई का कार्य भी किया ।

एक विभागीय कार्यशाला रायपुर में स्थित है जहाँ पर विभागीय मशीनों का रख रखाव एवं सुधार कार्य किया जाता है।

10. बजट:

केन्द्रीय गतिवर्धित ग्रामीण पेयजल व्यवस्था हेतु वर्ष 2004-2005 में केन्द्रांश के रूप में रु0 1680.00 लाख भारत शासन ने मुक्त किये ।

केन्द्रीय गतिवर्धित ग्रामीण पेयजल व्यवस्था हेतु केन्द्रांश के रूप में राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की गई है कि राज्य शासन भी इसके समतुल्य राशि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.) में उपलब्ध

कराएगा ।राज्य शासन ने तदानुसार समतुल्य से अधिक रुपये 7510.00 लाख उपलब्ध करायें ।

बड़े शाहरों के लिए (20,000 से अधिक आबादी के लिए) रुपये 1321.50 लाख का प्रावधान वर्ष 2004-2005 में रखा गया था । छोटे शहरों के लिए (20,000 हज़ार से कम आबादी वाले) केन्द्रांश रु0 500.00 लाख ताकि राज्यांश रु0 500.00 लाख का प्रावधान वर्ष 2004-2005 में रखा गया था ।

11. सारांश:

राज्य शासन पेयजल कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूर्ण रुप से शासकीय बजट व केन्द्रीय सहायता से संपन्न करता रहा है। इसमें जल भागीदारी को आवश्यकत समझा गया है, ताकि ग्रामवासी योजना को अपनी समझ एवं उपयोग करें । इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयत बाबत दिशा निर्देश जारी किये है। दिशा निर्देशों में निहित सिद्धांत निम्नानुसार है:-

1. भू-जल के दोहन पर नियंत्रण रखा जाय ।
2. स्त्रोतों के रख-रखाव एवं संरक्षण के लिए अधिक धनराशि जुटाई जाय ।
3. पेयजल कार्यक्रम में जनभागीदारी बढाई जाय ।
4. पेयजल का एक आर्थित-सामाजिक संसाधन के रुप में उपयोग हो ।
5. पेयजल कार्यक्रम को जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रमों से अधिक संबंध किया जाय ।

इस सुधार कार्यक्रम का आर्थिक पहलू भारत सरकार द्वारा इस प्रकार प्रतिपादित किया गया है:

1. ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में अब से मांग के आधार पर क्रियान्वयन किया जायेगा, ताकि जनभागीदारी में वृद्धि हो और समुदाय के अधिकार को भी ध्यान में रखा जा सकें । आशय यह है, कि योजना का चयन,स्वरूप ओर संधारण व्यवसाि समुदाय द्वारा ही निर्धारित हो ।

2. ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में समुदाय की हितभागिता बढाने के लिए किसी भी योजना की निर्माण लागत में 10 प्रतिशत समुदाय के अंध के रूप में वसूल किया जाय । इसी प्रकार, योजना का समस्त संचालन ताि संधारण व्यय भी समुदाय द्वारा बहन किया जाय ।

यह आवश्यक है कि, राज्य में, नये दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन के बारे में अध्याय आरंभ किया जाये, जिससे न सिर्फ हितग्राहियों की भागीदारी निर्मित हो बल्कि भूजल के उपयोग एवं अपव्यय पर भी अंकुश

लगाया जा सकें । इन सुधारों से अपेक्षा की जा सकती है कि, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल कार्यक्रम के प्रति समुदायों में स्वामित्व की भावना जागृत होगी ।

''''